कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

प्रार्थी श्रीमती खेमी व अन्य
किस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

विपक्षी सरकार
प्रकरण संख्या 01/2025

कार्यवाही विवरण

—ःनिर्णयः—

दिनांक 19/08/25

उपस्थित— श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता–प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि मौजा हर पटवार हल्का बनोडा तहसील झल्लारा मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या 217 आराजी नम्बर 1925/298 कुल किता 01 कुल रकबा 1.9985 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित प्रार्थीगण की भूमि का सीमाकंन नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण की आराजी एवं पडोसी आराजीयात 1856/289, 1924/289, 1040 के स्वामियों के बीच सीमा को लेकर आए दिन आपस मे विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण की आराजी एवं पडौसी आराजीयात के बीच सीमांकन व पत्थरगढी नहीं होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है जिस कारण प्रार्थीगण अपने आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के आराजीयात की भूमि पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण के आराजीयात की पत्थरगढी का आदेश किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 1925/298 कुल रकबा 1.9985 हैक्टेयर भूमि हेतु पत्थरगढी का आदेश फरमावे। जिस पर विपक्षी ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र मे वर्णित मौजा हर पटवार हल्का बनोडा की हाल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 217 आराजी नम्बर 1925/289 कुल किता 01 कुल रकबा 1.9985 हैक्टेयर भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार होकर राजस्व जमाबंदी मे नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण अपने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

प्रार्थी श्रीमती खेमी व अन्य | **विपक्षी** सरकार

कस्म मुकदमा धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम | **प्रकरण संख्या** 01/20..

	कार्यवाही विवरण
	–:आदेश:– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा हर पटवार हल्का बनोडा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 217 आराजी नम्बर 1925/289 कुल किता 01 कुल रकबा 1.9985 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। तथा पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा करे। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार झल्लारा के नाम जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे। निर्णय दिनांक 19/03/25 को सरे ईजलास सुनाया गया। (शान्ति लाल जैन) उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर